



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

105] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 1991/फाल्गुन 1, 1912
105] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 1991/PHALGUNA 1, 1912

इस भाग में भिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जमान संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

उद्योग क्षेत्रों को उद्योग विनियम क्षेत्र घोषित करते हुए तथा उद्योग
विनियम क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करते हुए पर्यावरण (संरक्षण)
विनियम, 1986 की धारा 3(2)(5) और धारा 3(1) और पर्यावरण
(संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5(3)(घ) के तहत अधिसूचना।

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1991

का.पा. 114 (घ) :- जबकि उद्योग क्षेत्रों को उद्योग विनियम
क्षेत्र (सी धार जेड) के रूप में घोषणा तथा सी धार जेड में उद्योगों,
मंत्रालयों और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध के विरुद्ध आपत्तियाँ प्रामाणिक करते
हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1936 की धारा 3(1) और धारा
3(2)(5) के तहत एक अधिसूचना का.पा.सं.-944 (ई) दिनांक
मार्च 1990 के अन्तर्गत जारी की गई थी :

जबकि केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त सभी आपत्तियों पर समुचित
चिन्ता है ;

तथा धारा पर्यावरण (संरक्षण) विनियम, 1986 के नियम 5
उप नियम (3) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उनकी ओर
से प्राप्त अन्य सभी प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए उक्त सरकार एकाधिक

समुद्रों, बाटियों, झुलनों, विनिर्माणों, नदियों, और परबतों के उद्योग
भागों, जो न्यार रेखा से 500 मीटर तक स्थान की ओर कार्याय किया
से प्रभावित है तथा निम्न न्यार रेखा और उच्च न्यार रेखा
के बीच की भूमि को उद्योग विनियमन परिषद के रूप में घोषित करती
है और इस अधिसूचना की धारा से उक्त उद्योग विनियमन क्षेत्र में
उद्योगों, संचालनों व्यवसाय प्रक्रियाओं आदि की स्थापना और विस्तार पर
निम्नलिखित प्रतिबंध लगाती है। इस अधिसूचना के प्रयोगार्थ उच्च न्यार
रेखा की उस रेखा के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जहाँ तक सर्वोदय
उच्च न्यार, स्थिर न्यार तक पहुँचती है।

नोट : नदियों, बाटियों और पम्पबलों के मामले में प्रस्तावित विनियमन
उच्च न्यार रेखा से जितनी दूरी पर लागू होंगे, वह दूरी उद्योग
क्षेत्र प्रत्यक्ष योजनाएँ (नौने संरक्षित) तैयार करते समय रिवाज
किए जाने वाले कार्यों में दूर नामने में संशोधित की जा सकती
है लेकिन यह दूरी 100 मीटर नदियों के मामले में या छोटी धपका
परबतों प्रत्यक्ष नदी की चौड़ाई की भी कम हो, में कम नहीं होगी।

2. प्रतिषिद्ध क्रिया-कलाप :- निम्नलिखित क्रिया-कलाप उद्योग विनियमन
परिषद के भीतर प्रतिषिद्ध किए जाने हैं, अर्थात् :-

(1) नये उद्योगों की स्थापना तथा मौजूदा उद्योगों का विस्तार,
जोसे उद्योग नगर माने संरक्षित या जोसे उद्योग सुविधाओं
की आवश्यकता वाले उद्योगों को छोड़कर।